

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

शिव चरण मीना

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

15 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023

08.02.2023

26.07.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....आवेदक

बनाम

1-श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री पारस मल जैन निवासी एसबीआई बैंक के पास विकास
विहार कॉलोनी टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स के. पी. ऑयल इण्डस्ट्रीज एफ-19-20,
रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक जिला टोंक

2-मैसर्स के. पी. ऑयल इण्डस्ट्रीज एफ-19-20, रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा
26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री लोकेश कुमार जैन स्वयं उप।

:निर्णय:-

दिनांक 26.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक
13.12.2022 को समय 03:45 पी.एम पर मैसर्स के. पी. ऑयल इण्डस्ट्रीज एफ-19-20, रीको
इण्डस्ट्रीज एरिया टोंक जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री पारस मल
जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री लोकेश कुमार जैन ने
स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर
खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में
जनता को विक्रय करने हेतु निर्माण ईकाई के पैकिंग गोदाम में 15-15 किलोग्राम पैक के
लगभग 40 टिन मूल पैक पैकड अवस्था में कच्ची घाणी सरसों तेल (श्री भायाजी ब्राण्ड) रखा हुआ
था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर
का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री लोकेश कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार
भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने
हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह कच्ची
घाणी सरसों तेल (श्री भायाजी ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 01/केपी एवं पैकिंग की दिनांक नवम्बर



2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1600 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कच्ची घाणी सरसों तेल (श्री भायाजी ब्राण्ड) 1600 ग्राम को प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में अलग-अलग प्रत्येक शिशी में 400-400 ग्राम भरकर शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3391 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3391 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/653 दिनांक 27.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3534/एक्ट/2022/3591 दिनांक 21.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया कच्ची घाणी सरसों तेल (श्री भायाजी ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 200 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री लोकेश कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है, इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारियाँ अंकित हैं एवं इसके लेबल पर Nutritional information भी लिखी हुई थी जो स्पष्ट नहीं थी, इस वजह से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। इस खाद्य पदार्थ में अन्य किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस कच्ची घाणी सरसों तेल (श्री भायाजी ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे, वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया कच्ची घाणी सरसों तेल (श्री भायाजी ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मिश्रा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०